(90)

110. (1) प्रशासक सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशित शर्तों के आधार पर इस विनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकता है ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के लिए विशिष्टतया तथा बिना पूर्वाग्रह के, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं :–

(क) धारा 6 की उप धारा (3) के खण्ड (क) के तहत् किसी ग्राम साधारण निकाय की संपत्ति एवं दायित्व के निपटान की रीति;

(ख) ग्राम साधारण निकाय के संदस्यों की मतदाता सूची तैयार करने की रीति तथा विशिष्टता जिसमें यह अंतर्विष्ट होगा और रीति जिसमें धारा 8 के तहत् संशोधित किया जा सकेगा;

(ग) धारा 9 की उप धारा (3) के तहत् ग्राम साधारण निकाय की बैठक की सूचना देने की रीति;

(घ) धारा 11 के परन्तुक के अधीन विभिन्न ग्राम परिषदों तथा विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से चुनाव आयोग द्वारा आबंटित की जाने वाली महिलाओं तथा फर्स्ट कैप्टेन के लिए सीट आरक्षित करने की रीति;

(च) धारा 20 की उप धारा (1) के अधीन फर्स्ट कैप्टेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दिए जाने वाले आवश्यक नोटिस;

(छ) धारा 21 की उप धारा (1) के अधीन सेकेन्ड कैप्टेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए दी जाने वाले आवश्यक नोटिस के लिए अवधि;

(ज) धारा 23 की उप धारा (5) के अधीन सचिव, अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्त तथा अनुबंध;

(झ) धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद की बैठक तथा स्थान और उस बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ट) धारा 24 की उप धारा (2) के अधीन संकल्प को प्रभावशाली बनाने तथा प्रश्नगत में डालने की प्रक्रिया;

(ठ) धारा 25 की उप धारा (1) के अधीन नियंत्रण तथा प्रतिबंधित जिसके तहत् ग्राम परिषद समितियों की नियुक्ति की जा सकती है;

(ड) धारा 25 की उप धारा (2) के अधीन कारण एवं रीति